14 फारम संख्या 562

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक

शंकर मंडल ......प्रथम पक्ष

बनाम

काली मंडल वगैरह ......द्वितीय पक्ष

पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० .... से .... तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ......151...... सन् 2021

धारा 144 द०प्र०स०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आवेदक शंकर मंडल पिता स्व0 भातु मंडल साकिन – बलियारी, थाना + अंचल सरिया, जिला गिरिडीह द्वारा द0 प्र0 स0 कि धारा – 144 के अन्तर्गत विवादित भूमि मौजा – चिताखारो, थाना – बिरनी के अन्तर्गत खाता नं0 – 23/56 प्लॉट नं0 – 680/421 रकवा 11 एकड़, चौहदी: उ0 – पुनवा सुण्डी वगैरह द0 – चान्दो भुईयाँ पू0 – सीमाना उल्लीबार पं0 – लालो सुण्डी मैं भू–विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जाँच/मंतव्य अंचल अधिकारी सरिया थाना प्रभारी सरिया से मांगे। अभिलेख दिनांक ....15/12/21.... ~~को उपस्थापित करें।~~ लेखापित एवं संशोधित अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर – सरिया अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर – सरिया	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। ~~थाना प्रभारी~~/अंचल अधिकारी सरिया....के ज्ञापांक सं0..887... दिनांक ..20.12.22...........के द्वारा समर्पित किया गया जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दिनांक.05/1/2023 को कारणपृंच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय। अभिलेख दिनांक05/1/2023को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया	

Scanned with CamScanner

श की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
05/1/23	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उप० अभिलेख 19-01-2023 को रखें।	
19/1/23	उभय पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष द्वारा प्र० दाखिला। बहस हेतु दिनांक 2/2/23 को रखें। 19/1	
2/2/23	प्रथम पक्ष उप०। द्वितीय पक्ष वकालतन हाजिर। ~~द्वितीय~~ प्रथम पक्ष के द्वारा प्रति उत्तर दाखिल। बहस हेतु दिनांक 9/2/23 को रखें। 2/	
9.2.23	प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर। द्वितीय पक्ष उप० अभिलेख दिनांक 16.2.23 को रखें।	
16-2-23	प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर। द्वितीय पक्ष उप०। आदेश हेतु दिनांक 17/2/23 को रखें। 16/	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
17/2/23.	आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नगत वाद प्रथम पक्ष ने मौजा-बलियारी थाना-सरिया में स्थित खाता-23/56 प्लाट-680/421 रकबा-11 डी. की भूमि पर लाया है। उभय पक्ष प्रश्नगत भूमि को भूतपूर्व जमींदार से प्राप्त हुकुमनामा के आधार पर दावा करते हैं। साथ ही उभय पक्ष की जमाबंदी भी अंचल कार्यालय में कायम है। उभय पक्ष के ~~बीच~~ उपस्थिति में पूर्व में भी नापी कर विवाद का निष्पादन अंचल अधिकारी के आदेश पर अंचल अमीन द्वारा किया गया था। इस आशय का प्रतिवेदन की प्रति द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल किया गया है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2019 में भूमि को चिन्हित कर द्वितीय पक्ष को उपलब्ध (दखल) करा दिया गया था। प्रथम पक्ष उक्त नापी के समय उपस्थित थे। चूँकि उभय पक्ष गैर निबंधित हुकुमनामा	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	के आधार पर दावा कर रहे हैं। तथा उक्त हुकमनामा का सत्यापन इस वाद में नहीं किया जा सकता है अतः अंचल अमीन की जाँच प्रतिवेदन के आधार पर नियमन को प्रथम पक्ष के विरुद्ध निरपेक्ष तथा द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त घोषित किया जाता है। उक्त आदेश द.प्र.सं. की धारा-144(5) के तहत परिचालित होगा। वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। ह०/- 17/1/23 ह०	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.02.21 14:15:54 +05:30
Location: 192.168.1.4

Scanned with CamScanner